"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2011—आश्विन 1, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री सुनिल कुमार, भा.प्र.से. (1979), अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-01-12/2010/एक/2, दिनांक 27-08-2011 द्वारा श्री सुनिल कुमार को अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

2. **श्री एम. के. राऊत, भा.प्र.से. (1984), प्रमुख सचिव,** लोक निर्माण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक **प्रमुख सचिव,** राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. **श्री सुनील कुमार कुजूर,** भा.प्र.से. (1986), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पदेन प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा प्रमुख सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त को केवल प्रमुख सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2011

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ-20-95/04/11/6.—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट-4 के "बिन्दु क्रमांक 2-अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान" में उपबिन्दु "ख" एवं "ग" की तालिका में अधिकतम सीमा (मात्रा में) त्रुटिवश अंकित नहीं हो पायी थी.

अत: एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट-4 के "बिन्दु क्रमांक 2-अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान" के उपबिन्दु "ख" एवं "ग" में त्रुटि सुधार करते हुये तालिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

ख-वृहद-मध्यम उद्योग—

क्षेत्र (1)	सामान्य उद्योग (2)	विशेष थ्रस्ट उद्योग (3)
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि में रु. 90 लाख	सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रु. 110 लाख
श्रेणी ब आर्थिक पिछड़े/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम रु. 100 लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम रु. 120 लाख

ग-मेगा प्रोजेक्ट —

श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रु. 300 लाख	सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रु. 350 लाख

(1)	(2)	(3)
श्रेणी ब-अति पिछड़े/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि . अधिकतम राशि रु. 350 लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रु. 500 लाख
अति वृहद उद्योग—		
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रु. 300 लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रु. 350 लाख
श्रेणी ब-अति पिछड़े/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रु. 350 लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रु. 500 लाख

(2) यह संशोधित अधिसूचना औद्योगिक नीति 2004-09 के लागू होने के दिनांक अर्थात् 01-11-2004 से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 8-1/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी लिमिटेड, भिलाई के बॉयलर क्रमांक एम.पी. 3748 को दिनांक 11-06-2011 से दिनांक 10-12-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार, तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 1-84/पंग्राविवि/वि-4/22/2011.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ विकास आयुक्त की स्थापना में तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा,

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन,

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(ङ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8–5–पच्चीस–4–84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्रू पिछड़े वर्ग,

(च) "अनसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(झ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति,

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधीन विकास आयुक्त की स्थापना में तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा,

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य,

(3) विस्तार तथा लागू होना :— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलत होंगे, अर्थातः–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची –एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका.– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् , सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार के कालम (दो) में दर्शाए गए अनुसार सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, मूल हैसियत में धारण करते हों।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु, शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किए जायेंगे, किन्तु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा, जो इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय. छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(एक) आयु:– (क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को उसने अनुसूची–तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 5 (पॉच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत् कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु–सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण— शब्द "छटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु–सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा है और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी किया गया हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छः मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आंदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के उच्च जाति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पॉच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान तथा महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान या राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पॉच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, की उच्चतर आयु अधिकतम 38 (अड़तीस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों की दशा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी., किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) उपरोक्त किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु, आयु सीमा 45 (पैंतालिस) वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ट) शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टिप्पणी (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त नियम 8 (1) (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा/चयन में प्रवेश दिये गये हैं, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी कर दी जाती हो तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(ठ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 10 (दस) वर्षो तक शिथिलनीय होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं.– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जो कि अनुसूची–तीन में दर्शाई गई हैं।

(तीन) फीस.– अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– चयन हेतु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**– नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जाएगी, जिसमें तीन सदस्य समाविष्ट होंगे।

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर, जारी किए गए ऐसे आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जाएगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** – (एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों से किया जाएगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करें।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अन्तरालों में गठित की जाएगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पद, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर ज़ारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहाँ सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा।

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं, तैयार करेगा तथा उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो सामान्यतया एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, जारी निर्देशों के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

15. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता की शर्तें.–** (1) समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लिखित सेवा या पद में (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर, सेवा की कालावधि जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में दर्शाई गई है, पूर्ण कर ली हो।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबंध, पदोन्नति के विषय में लागू होंगे।

(3) शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.–** (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों, और जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(2) चतुर्थ श्रेणी के पद से तृतीय श्रेणी के पद पर तथा तृतीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगा।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (2) में विर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के उपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

17.चयन सूची :— (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची—चार के कालम (2) में उल्लिखित पदों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी ।

(2) चयन सूची सामान्यतया इसके तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे वक्ति का नाम हटा सकेगा ।

18.चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :— (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 की सूची में आये उनके नाम के क्रम के अनुसार होंगी ।

(2) साधारणतः उक्त व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समितिं से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो ।

19.निर्वचन :— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोईप्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

20.शिथिलीकरण :— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, कि वह किसी ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्रवाई करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे उचित तथां साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है ।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

21.निरसन और व्यावृत्ति :— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोईभी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

अनुसूची – एक
(नियम 5 देखिए)

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. (अ) लिपिकीय : विभागाध्यक्ष विकास आयुक्त			
1	अधीक्षक	2	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	9300–34800 ग्रे वे 4300	
2	सहायक प्रोग्रामर	1	—"—	9300–34800, ग्रे वे 4300	
3	सहायक अधीक्षक	1	—"—	9300–34800, ग्रे वे 4200	
4	वरिष्ठ निज सहायक	1	—"—	9300–34800 ग्रे वे 4400	
5	निज़ सहायक	3	—"—	9300–34800 ग्रे वे 4300	
6	शीघ्र लेखक	8	—"—	5200–20200 ग्रे वे 2800	
7	सहायक ग्रेड –1	4	—"—	5200–20200, ग्रे वे 2800	
8	लेखापाल	1	—"—	5200–20200, ग्रे वे 2400	
9	सहायक ग्रेड –2	8	—"—	5200–20200, ग्रे वे 2400	
10	डाटा एन्ट्री आपरेटर	3	—"—	5200–20200, ग्रे वे 2400	
11	सहायक ग्रेड –3	13	—"—	5200–20200, ग्रे वे 1900	
		1. (ब) अलिपिकीय			
1	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी अलिपिकीय	9300–34800 ग्रे वे.4300	
2	सहायक लेखा अधिकारी	1	—"—	9300–34800 ग्रे वे 4200	
3	अन्वेषक	2	—"—	5200–20200 ग्रे वे 2800	
4	संगणक (कम्प्यूटर आपरेटर)	2	—"—	5200–20200 ग्रे वे 2400	
5	वाहन चालक	6	—"—	5200–20200 ग्रे वे 1900	

2. (अ) अलिपिकीयः राज्य स्तरीय संवर्ग (मुख्यालय एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालय हेतु)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उप अभियंता	590	तृतीय श्रेणी अलिपिकीय	9300–34800 ग्रे वे 4200 9300–34800 ग्रे वे 4400 15600–39100 ग्रे वे 5400 15600–39100 ग्रे वे 6600	1. नियुक्ति की तारीख 2. 10 वर्ष की सेवा पश्चात 3. 20वर्ष की सेवा पश्चात 4. 25 वर्ष की सेवा पश्चात्
2	मुख्य मानचित्रकार	1	तृतीय श्रेणी अलिपिकीय	9300–34800 ग्रे.वे. 4200+50 प्रतिमाह विशेष वेतन	
3	मानचित्रकार	26	तृतीय श्रेणी अलिपिकीय	9300–34800 ग्रे.वे. 4200	
4	सहायक मानचित्रकार	98	तृतीय श्रेणी अलिपिकीय	5200–20200 ग्रे.वे. 2400	
5	अनुरेखक	25	तृतीय श्रेणी अलिपिकीय	5200–20200 ग्रे.वे. 1900	

2. (ब) लिपिकीयः ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालय हेतु

1	संभागीय लेखापाल	24	तृतीय श्रेणी–लिपिकीय	महालेखाकार छ.ग. रायपुर से प्रतिनियुक्ति पर
2	सहायक ग्रेड–2	46	तृतीय श्रेणी–लिपिकीय	5200–20200 ग्रे वे 2400
3	लेखापाल	75	तृतीय श्रेणी–लिपिकीय	5200–20200 ग्रे वे 2400
4	सहायक ग्रेड –3	121	तृतीय श्रेणी–लिपिकीय	5200–20200 ग्रे वे 1900
5	डाटा एन्ट्री आंपरेटर	46	तृतीय श्रेणी–लिपिकीय	5200–20200 ग्रे वे 2400
6	आशुलिपिक (स्टेनो टायपिस्ट)	24	तृतीय श्रेणी–लिपिकीय	5200–20200 ग्रे वे 1900+ 125रू. विशेष वेतन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

3. (अ) लिपिकीय : राजस्व संभाग संवर्ग

1	लेखापाल	146	तृतीय श्रेणी– लिपिकीय	5200–20200 ग्रे वे 2400	
2	सहायक ग्रेड –2	61	—"—	5200–20200 ग्रे वे 2400	

टीप– (अ) प्रत्येक विकासखंड लिए एक लेखापाल

एवं

(ब) प्रत्येक सामुदायिक विकासखंड के लिए एक सहायक ग्रेड –2

रा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

3. (ब) अलिपिकीय : राज्य स्तरीय संवर्ग

1	विकास विस्तार अधिकारी	146	तृतीय श्रेणी– अलिपिकीय	5200–20200 ग्रे वे 2800	
2	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	936	तृतीय श्रेणी– अलिपिकीय	5200–20200 ग्रे वे 2400	

अनुसूची–दो

(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1(अ), 2(ब) तथा 3 (अ) लिपिकीय					
विकास आयुक्त	1. अधीक्षक	2	—	100%		
	2. सहायक अधीक्षक	1	—	100%		
	3. सहायक ग्रेड –1	4	—	75% 25% (सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा)		
	4. वरिष्ठ निज सहायक	1	—	100%	—	
	5. निज सहायक	3	—	100%	—	
	6. शीघ्रलेखक	8	50%	50%		
	7. सहायक प्रोग्रामर	54	100%	—	—	
	8. सहायक ग्रेड–2	54	—	100%		
	9. सहायक ग्रेड–3	134	75%	25%		
	10.आशुलिपिक (स्टेनो टायपिस्ट)	24	100%	—	—	
	11.लेखापाल	76	—	100%	—	
	12. संभागीय लेखापाल	24	—	—	100%	महालेखाकार /कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर
	13. डाटा एन्ट्री आपरेटर	49	100%	—	—	

नोट :– सा.प्र.वि. के निर्देशानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जो मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण घोषित हों और जिसने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें सहायक ग्रेड 3 के 25% पदों पर पदोन्नति दी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1(ब) 2(अ), तथा 3(ब) अलिपिकीय			
विकास आयुक्त						
	1. उप अभियंता	590	100%			
	2. मुख्य मानचित्रकार	1	—	100%	—	
	3. मानचित्रकार	26	—	100%	—	
	4. सहा. मानचित्रकार	98	25%	75%		
	5. अनुरेखक	25	100%	—	—	
	6. सहा. सांख्यिकी अधि.	1	—	100%	—	
	7. अन्वेषक	2	—	100%	—	
	8. संगणक (कम्प्यूटर आपरेटर)	2	100%	—	—	
	9. सहायक लेखाधिकारी	1	—	—	100% प्रतिनियुक्ति पर.	
	10. विकास विस्तार अधिकारी	146	—	100%	—	
	11. सहायक विकास विस्तार अधिकारी	936	100%	—	—	
	12. वाहन चालक	6	100%	—	—	

अनुसूची – तीन

(नियम 8 देखिए)

1(अ), 2(ब) तथा 3(अ)–लिपिकीय संवर्ग

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विकास आयुक्त 1	आशुलिपिक (स्टेनो टायपिस्ट)	18	30 (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन 60 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिन्दी मुद्रलेखन में 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा उत्तीर्ण एवं 5000 Key डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।	
2	सहायक प्रोग्रामर	21	30 (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	1. बी.ई. (इलेक्ट्रानिक्स/ कम्प्यूटर साईस) या एम.एस.सी (कम्प्यूटर साइंस/भौतिकी/गणित/ कम्प्यूटर सांख्यिकी.)	

3	शीघ्रलेखक	18	30 (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीषद् से हिन्दी मुद्रलेखन में 25 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा उत्तीर्ण तथा 10,000 Key डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।	
4	सहायक ग्रेड–3	18	30 (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा उत्तीर्ण एवं 5000 Key डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।	

5	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18	30 (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हायर सेकेण्डरी (10+2) या माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 10+2 प्रणाली के अधीन हाई स्कूल परीक्षा (10 वीं) तथा शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री में 8,000 Key डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1(ब), 2(अ) तथा 3(ब)		**अलिपिकीय**	
विकास आयुक्त					
	1. उप अभियंता	20	30 (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	सिविल इंजीनियरिंग विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा रूरल टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट विषय में 2 वर्षीय सिविल डिप्लोमा ।	
	2. सहा.मानचित्रकार	20	30 (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से मानचित्रकार (सिविल) में डिप्लोमा अथवा पॉलिटेक्निक से सिविल अभियांत्रिकी अथवा वास्तुविद में डिप्लोमा।	
	3. अनुरेखक	20	30 (छत्तीसगढ़के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	मा. शि. मं. से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष एवं मान्यता प्राप्त संस्था से इन्टरमीडिएट ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण घोषित हो।	
4.	संगणक (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	20	30 (छत्तीसगढ़के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य में स्नातक उपाधि के साथ छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 6 माह का कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।	
5.	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	20	30 (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	
6.	वाहन चालक	18	30 (छत्तीसगढ़के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा लाईट मोटर व्हीकल का लायसेंस।	

अनुसूची – चार

(नियम 13 तथा 14 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	कॉलम–4 के पद पर पदोन्नति के लिए कॉलम–2 के पद पर न्यूनतम सेवा अवधि	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	चयन की विधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1(अ), 2(ब) लिपिकीय		
विकास आयुक्त	(1)सहायक अधीक्षक /सहायक ग्रेड–1	5 वर्ष	अधीक्षक	वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर	विकास आयुक्त कार्यालय हेतु – 1 (अ) (1) संयुक्त आयुक्त – अध्यक्ष (2) उपायुक्त (स्थापना), सी.ए.ओ. तथा विकास आयुक्त द्वारा मनोनीत प्रतिनियुक्त – संदस्य
	(2)सहायक ग्रेड–1	5 वर्ष	सहायक अधीक्षक	–"–	
	(3)सहायक ग्रेड–2	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–1	–"–	
	(4)सहायक ग्रेड–2 /लेखा परीक्षा उत्तीर्ण	5 वर्ष	लेखापाल	–"–	2(ब) संभागीय कार्यालय हेतु– (1) मुख्य अभियंता, –अध्यक्ष (2)अधीक्षण अभियंता /स्थापना प्रभारी– सदस्य (3) विकास आयुक्त द्वारा मनोनीत प्रतिनियुक्त– सदस्य
	(5)सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–2	–"–	
	(6) शीध्र लेखक	5 वर्ष	निज सहायक	–"–	
	(7) निज सहायक	5 वर्ष	वरिष्ठ निज सहायक	–"–	

नोट :– 1. राज्य स्तरीय केडर को छोड़कर वरिष्ठता सूची मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालयों की पृथक रहेगी।

2. संभागीय कार्यालयों में पदोन्नति, संभाग कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों से ही की जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1(ब), 2(अ), 3(ब) **अलिपिकीय**		
विकास आयुक्त	1. सहायक मानचित्रकार	5 वर्ष	मुख्य मानचित्रकार / मानचित्रकार	वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर	2(अ) अलिपिकीय राज्य संवर्ग– (1) मुख्य अभियंता, (मुख्यालय) – अध्यक्ष (2) अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय) या प्रभारी स्थापना– सदस्य (3) विकास आयुक्त द्वारा मनोनीत – सदस्य
	2. अनुरेखक	5 वर्ष	सहायक मानचित्रकार	–"–	
	3. अन्वेषक	5 वर्ष	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	–"–	
	4.संगणक (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	5 वर्ष	अन्वेषक	–"–	1 (ब) 3 (ब)– मुख्यालय एवं राज्य स्तरीय संवर्ग हेतु अलिपिकीय 1. संयुक्त आयुक्त – अध्यक्ष 2. उपायुक्त (स्थापना) – सदस्य 3. विकास आयुक्त द्वारा मनोनीत – सदस्य
	5.सहायक विकास विस्तार अधिकारी	5 वर्ष	विकास विस्तार अधिकारी	–"–	

Raipur, the 1st August 2011

No. F 1-84/पंग्राविवि/वि-4/22/2011.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment in the Chhattisgarh Development Commissioner Establishment under Panchayat and Rural Development Department, Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Services, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Development Commissioner Panchayat and Rural Development, Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Services Recruitment Rules, 2011.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Appointing Authority" in respect of the services or a post means the Development Commissioner, Chhattisgarh Raipur;

   (b) "Examination" means the competitive examination for recruitment conducted under rule 11;

   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification Number F.8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

   (f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India ;

   (h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of India ;

   (i) "Selection Committee" means selection committee constituted by the Appointing Authority;

(j) "Service" means the **Chhattisgarh** Panchayat and Gramin Vikas Vibhag, Development **Commissioner** establishment under Panchayat and Rural **Development** Class- III (Ministerial and Non-Ministerial) Service;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provision contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service.-** The service shall consist of the following persons, namely :-

(i) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule- I;
(ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
(iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.-** The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of post included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and scale of pay included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely -

(a) By direct recruitment by competitive examination/selection;

(b) By promotion of members as shown in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled at any time during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For Direct recruitment to the posts on the basis of merit, criteria shall be prescribed by the Government but Appointing Authority shall have to constitute a selection Committee for the purpose who will look into these criteria or shall adopt other befitting criteria after the approval of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued from time to time by General Administration Department shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by any one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.-** In order to be eligible to compete/selection at the examination, candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) Age.- (a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and must not attained the age specified in column (4) of the said schedule on the Ist day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 years to a women candidate, as per provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Woman) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate who is permanent Government Servant, should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency employees, work charge employees and employees working in the project implementing committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years;

Explanation- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation- The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service :-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(3) Ex personnel of Madras Civil Units;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officers;

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman invalidated out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot wounds etc.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years in respect of Green-Card holder candidates under the Family Welfare Programme.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 5(five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive scheme.

(g) The general upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (five) years in respect of the Shaheed Rajiv Pande Award, Gundadhur Award and Maharaja Praveer Chand Bhanjdeo Samman or National youth award holder young candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years.

(j) After providing relaxation in the age limit on the basis of any one or more of the above for entering in Government Service, the age limit of 45 (Forty Five) years shall not exceed.

(k) The directions issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall also be applicable.

Note- (1) The Candidates, who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in rule 8(I)(d) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after examination/selection. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear in the examination..

(I) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years to a woman candidate in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Woman) Rules, 1997.

(II) **Educational qualifications.-** The Candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) **Fees.-** The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination /selection.

10. **Appointing Authority's decisions about the eligibility of the candidates shall be final.-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority, shall be allowed to appear in the examination/ interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection.-** (1) Direct recruitment by competitive examination- Appointing Authority will constitute a selection committee comprising of three members.

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority in consultation with the Government from time to time determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct recruitment by selection- (i) The Selection for direct recruitment to the service shall be held at such intervals as determined by Appointing Authority;

(ii) The Selection of candidates shall be done by selection committee based on interview; and

(iii) Selection Committee shall be constituted by Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and as per the orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub-rule (3).

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility, the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available in sufficient number, the competent authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for **handicapped candidates** shall be in accordance with the direction of the **General** Administration Department.

12. **List of candidates recommended by the Committee.**– (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the selection committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, though not qualified by that standard, but declared by the Selection committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Probation.**- Every person appointed in service through direct recruitment or promotion shall be on probation for a period of two years.

14. **Appointment by Promotion.**- (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of the committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Paddonnati) Niyam, 2003 and instructions issued by the Government in General Administration Department from time to time.

15. Conditions of Eligibility for Promotion/Transfer.- (1) The Committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January that year, had completed the period of service shown in column (3) of Schedule-IV (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in column (4) of Schedule-IV or any other posts or post declared equivalent thereto by the Government.

Explanation – (1) Manner of computation for eligibility for promotion - The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.
(2) In the matter of promotion, the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Paddonnati) Niyam, 2003 shall be applicable.
(3) Promotion will be done as per the prescribed Reservation Roster by the Government.

16. Preparation of the list of suitable candidates.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.
(2) For preparing the select list of persons for promotion from the Post of Class-IV to Class-III and from Class-III to Class-II the criterion shall be seniority subject to fitness.
(3) As per the provision of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 the name of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation.- The person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. Select List.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in Column (2) of Schedule-IV, to the posts mentioned in Column (4) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force for the period of one year from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the service from the select list. – (1) Appointment of the employees included in the Select List shall be made to the post of service cadre according to serial order of their name listed in the Chhattisgarh Lok Sewa (Padonnati) Niyam, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the selection committee before appointment of a person whose name is included in the Select List to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him, than that provided in these rules.

21. Repeal and Saving.- All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Joint Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

	Name of Posts included in services	No. of Posts	Classification	Pay-Scale	Rem
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1 (A) Ministerial : Development Commissioner Head of the Department.				
1	Superintendent	2	Class III –Ministerial	9300-34800 GP 4300	
2	Assistant Programmer	1	--"--	9300-34800 GP 4300	
3	Assistant Superintendent	1	--"--	9300-34800 GP 4200	
4	Senior Personal Assistant	1	--"--	9300-34800 GP 4400	
5	Personal Assistant	3	--"--	9300-34800 GP 4300	
6	Stenographer	8	--"--	5200-20200 GP 2800	
7	Assistant Grade-1	4	--"--	5200-20200 GP 2800	
8	Accountant	1	--"--	5200-20200 GP 2400	
9	Assistant Grade-2	8	--"--	5200-20200 GP 2400	
10	Data Entry Operator	3	--"--	5200-20200 GP 2400	
11	Assistant Grade-3	13	--"--	5200-20200 GP 1900	
	1. (B) Non-Ministerial				
1	Assistant Statistical Officer	1	Class III – Non Ministerial	9300-34800 GP 4300	
2	Assistant Accounts Officer	1	--"--	9300-34800 GP 4200	
3	Investigator	2	--"--	5200-20200 GP 2800	
4	Computer Operator.	2	--"--	5200-20200 GP 2400	
5	Vehicle Driver	6	--"--	5200-20200 GP 1900	

2. (A) Non-Ministerial : State Level Cadre (for Head Quarter and Division Office of RES)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sub-Engineer	590	Class-III Non-Ministerial	9300-34800 GP 4200 9300-34800 GP 4400 15600-39100 GP 5400 15600-39100 GP 6600	1. Appointment date 2. Service after 10 years 3. Service after 20 years 4. Service after 25 years
2.	Head Draftsman	1	Class-III Non-Ministerial	9300-34800 GP 4200+50 Special Pay every month	
3.	Draftsman	26	Class-III Non-Ministerial	9300-34800 GP 4200	
4.	Assistant Draft-man	98	Class-III Non-Ministerial	5200-20200 GP 2400	
5.	Tracer	25	Class-III Non-Ministerial	5200-20200 GP 1900	
	2. (B) Ministerial : For Divisional office of RES				
1.	Divisional Accountant	24	Class- III Ministerial	On Deputation from A.G.C.G. Raipur.	
2.	Assistant Grade- II	46	Class- III Ministerial	5200-20200 GP 2400	
3.	Accountant	75	Class- III Ministerial	5200-20200 GP 2400	
4.	Assistant Grade- III	121	Class- III Ministerial	5200-20200 GP 1900	
5.	Data Entry Operator	46	Class- III Ministerial	5200-20200 GP 2400	
6.	Steno-Typist	24	Class- III Ministerial	5200-20200 GP 1900-+125 Special Pay	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. (A) Ministerial : Revenue Division Cadre			
1.	Accountant	146	Class-III Ministerial	5200-20200 GP 2400	
2.	Assistant Grade-II	61	---"---	5200-20200 GP 2400	

Note. - (a) One accountant for each Block
(b) One Assistant Grade-II for each CD Block

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. (B) Non-Ministerial : State Level Cadre			
1	Development Extension Officer	146	Class-III Non-Ministerial	5200-20200 GP 2800	
2.	Assistant Development Extension Officer	936	Class-III Non-Ministerial	5200-20200 GP 2400	

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

Name of Department	Name of Posts included in Service.	Total Number of duty post	Percentage of number of duty Posts to be filled in By Direct Recruitment.	By Promotion of member of services	By Transfer of persons from other services	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Development Commissioner						
	1 (A), 2 (B) and 3 (A) Ministerial					
	1. Superintendent	2	-	100%		
	2. Assistant Superintendent	1	-	100%		
	3. Assistant Grade-I	4	-	75% 25% (Limited Departmental Examination)		
	4. Senior Personal Assistant	1	-	100%		
	5. Personal Assistant	3	-	100%		
	6. Stenographer	8	50%	50%		
	7. Assistant Programmer	54	100%	-		
	8. Assistant Grade-II	54	-	100%		
	9. Assistant. Grade-III	134	75%	25%		
	10. Steno-typist	24	100%	-		
	11. Accountant	76	-	100%		
	12. Divisional Accountant	24	-	-	100% Deputation from AG/T & A	
	13. Data-entry Operator	49	100%	-		

Note.- By the direction of G.A.D. those Class- IV employees who are declared successful in High Secondary from recognized Board/Institute and who have completed continuous service of 5 years, they shall be promoted on 25% posts of Assistant Grade - III.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1 (B), 2 (A) and 3 (B) Non-Ministerial					
Development Commissioner						
	1. Sub-Engineer	590	100%	-		
	2. Head Draftsman	1	-	100%		
	3. Draftsman	26	-	100%		
	4. Assistant Draftsman	98	25%	75%.		
	5. Tracer	25	100%	-		
	6. Assistant Statistical Officer	1	-	100%		
	7. Investigator	2	-	100%		
	8. Computer Operatoı	2	100%	-		
	9. Assistant Accounts officer	1	-	-	100%	On Deputation
	10. Development Extension Officer	146	-	100%		
	11. Assistant Development Extension Officer	936	100%	-		
	12. Driver	6	100%	-		

Schedule – III
(See rule 8)

1-(A),2(B) and 3(A) - Ministerial Grade

Name of the Department.	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Development Commissioner					
1	Steno-typist	18	30 (35 year for local resident of Chhattisgarh)	1. Should have passed Higher secondary under 10+2 system or 1st year examination in Bachelor Degree from any recognized Board/ University. 2. Should have passed from any recognized Board/ Institution Shorthand typing examination with speed of 60 wpm in Hindi shorthand and 25 wpm in Hindi typing. 3. Should possess 1 year certificate /diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institution and should have speed of 5,000 key depression per hour.	-
2	Assistant Programmer	21	30 (35 year for local resident of Chhattisgarh)	BE(Electronics/Computer Science) or MSc.(Computer Science /Physics /Math's/Statistical Computer).	-
3	Stenographer	18	30 (35 year for local resident of Chhattisgarh)	1. Should have passed Higher secondary under 10+2 system or 1st year examination in Bachelor Degree from any recognized Board/University. 2. Should have passed from any recognized Board/ Institution or Shorthand and Typing Council: Shorthand typing examination with speed of 100 wpm in Hindi shorthand, 25 wpm in Hindi typing. 3.Should possess 1 year certificate /diploma in Computer Data Entry/ Programming from any recognized Institution and should have speed of 10,000 key depression per hour.	-

4	Assistant Grade-III	18	30 (35 year for local resident of Chhattisgarh)	1. Should have passed Higher secondary under 10+2 system or 1st year examination in Bachelor Degree from any recognized Board/ University. 2. Should have passed from any recognized Board/ Institution Hindi typing with speed of 25 wpm. 3. Should possess 1 year certificate /diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institution and should have speed of 5,000 key depression per hour:	-
5	Data-entry Operator.	18	30 (35 year for local resident of Chhattisgarh)	Higher Secondary Examination (10+2) by Board of Secondary Education of Chhattisgarh or High School Examination (10th) under 10+2 system by Board of Secondary Education and 3 year Diploma in any subject from any recognized institute by the Government and minimum one year Diploma in Computer Application/Programming from recognized institute and should have speed of 8000 key depression per hour in data entry.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1-(B), 2 (A) and 3 (B) Non- Ministerial				
Development Commissioner					
	1. Sub Engineer	20	30 (35 year for local resident of CG)	3 years diploma in subject of Civil Engineering or two years civil diploma in rural technology & management.	
	2. Asstt. Draftsman	20	30 (35 year for local resident of CG)	Diploma in draftsman (Civil) by any recognized institute from Govt. of C.G. or diploma in civil engineering or Architecture by the Polytechnic.	
	3. Tracer	20	30 (35 year for local resident of CG)	Higher secondary examination or equalent by board of secondary education and declared successful intermediate drawing from recognized Institute.	
	4. Computer Operator	20	30 (35 year for local resident of CG)	Graduation in Economics or maths or commerce alongwith minimum 6 months diploma in computer application by recognized institute by Government of C.G.	
	5. Assistant Development Extension Officer	20	30 (35 year for local resident of CG)	Graduate degree from recognized university	
	6. Driver	18	30 (35 year for local resident of CG)	VIII standard pass and license of light motor vehicle.	

SCHEDULE-IV
(See Rule-13 and 14)

Name of Department	Name of Post from whom to be promoted	Minimum services of column 2 for promotion to column 4	The name of post to be Promoted	Method of selection	The member of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1-(A), 2(B) Ministerial		
Development Commissioner					
	(1) Assistant Superintendent/ Assistant Grade-I	5 Years	Superintendent	On the basis of Seniority -cum - merit	for Development Commissioner Office – 1(A) (1) Joint Commissioner-Chairman (2) Deputy Commissioner (Establishment), C.A.O. and nominee deputed by the Development Commissioner - Members.
	(2) Assistant Grade-I	5 Years	Assistant Superintendent	—"—	
	(3) Assistant Grade-II	5 Years	Assistant Grade-I	—"—	
	(4) Assistant Grade-II/ Account Exam Passed	5 Years	Accountant	—"—	2(B) for Divisional Office - (1) Chief Engineer - Chairman (2) Superintenent Engineer/Establish -ment in charge - Member (3) Nominee deputed by the Development Commissioner – Members
	(5) Asstt. Gr.-3	5 Years	Assistant Grade-II	—"—	
	(6) Stenographer	5 Years	Personal Assistant	—"—	
	(7) Personal Assistant	5 Years	Senior Personal Assistant	—"—	

Note.- 1. The gradation list of Head Quarter and Divisional office shall be separate except state cadre.

2. The promotion in Division office shall be made from employees posted in Division office.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1-(B), 2(A) and 3 (B) Non Ministerial			
Development **Commissioner**					
	(1) Assistant Draftsman	5 Years	Head Draftsman/ Draftsman	On the basis of Seniority-cum - merit	2(A) Non ministerial state cadre - (1) Chief Engineer (Headquarters) - Chairman (2) Superintendent of Engineer (Headquarters) or In-charge Establishment - Member (3) Nominee Development Commissioner - Member.
	(2) Tracer	5 Years	Assistant Draftsman	--"--	
	(3) Investigator	5 Years	Assistant Statistical Officer	--"--	
	(4) Computer Operator	5 Years	Investigator	--"--	1(B) 3(B) - Non Ministerial for Head Quarters and state cadre (1) Joint Commissioner - Chairman (2) Deputy Commissioner (Establishment) - Member (3) Nominee by Development Commissioner – Members
	(5) Assistant Dev. Ext. Officer	5 Years	Dev. Ext. Officer	--"--	

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 3–97/राजस्व–2/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन–सामग्री तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–** ये नियम छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा तथा भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे।

ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.–** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी, जिसे शासन द्वारा सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्तियाँ सौंपी गई हों या इसके पश्चात् सौंपी जाएं;

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "सेवा से" अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु, शासन, समय—समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या चयन द्वारा या मेरिट के आधार पर चयन द्वारा या साक्षात्कार द्वारा;

(ख) अनुसूची—4 में दर्शाए गये सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जैसा कि इस निमित्त शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, मूल रूप से धारण करते हों।

(2) उप—नियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसे या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके और प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप—नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी छ. ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात्, उप—नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में

भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किये जा सकेंगे। तथापि, विभागाध्यक्ष द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित की जानी चाहिए, जो इन मापदंडों से अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति**.— इन नियमो के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता संबंधी शर्तें**.— परीक्षा/चयन में स्पर्धा हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(एक) आयु—

(क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और अनुसूची—तीन के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पॉच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, निम्नलिखित सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल की जायेगी, अर्थात् :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हों, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जो किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो "छटनी किये गये सरकारी सेवक" हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त स्थायी/अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक वार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संगठक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हों, उन्हें अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हों।

स्पष्टीकरणः– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी हो या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया होः–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्त रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतवूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें:–

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण जो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जो उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किए गए हैं;

(पॉच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर लगातार छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त कर दिया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो,

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक युवा अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु अधिकतम सीमा पॉच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 (अड़तीस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमिशन्ड अधिकारियों की दशा में, उनके द्वारा इस प्रकार की गयी सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणीः—

(1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (घ) (एक) तथा (दो) में वर्णित रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा/चयन हेतु पात्र पाये गये हैं, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं। तथापि, यदि आवेदन

प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छंटनी की गयी हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले मे ये आयु सीमायें शिथिल नही की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ट) उच्चतर आयु सीमा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्तानुसार, आयु में किसी भी एक या अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं:–** अभ्यर्थी के पास अनुसूची–तीन में दर्शायी गई सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए।

(तीन) **फीस:–** अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

(9) **निरर्हता.–** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे लिखित परीक्षा/चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा।

(10) **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा.–** परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, साक्षात्कार हेतु परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण पत्र जारी न किया हो।

(11) (1) **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.– प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती–** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीन सदस्य होंगे;

(एक) सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा ऐसे अन्तरालों से आयोजित की जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर शासन के परामर्श से अवधारित करे।

(दो) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती.–**

(क) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे;

(ख) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा; तथा

(ग) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जाएगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उसके नाम नियम (12) में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रकम पर, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है, और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित होंगे।

(12) **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.–**

(1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करें, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किन्तु फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर, अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम से विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही, उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जॉच करने के बाद, जैसी कि वह आवश्यक समझे यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(13) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची–चार में वर्णित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायेगी:

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न नामांकित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो उसी प्रास्थिति के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य पदोन्नति/चयन समिति में सम्मिलित किया जाएगा तथा पदोन्नति/चयन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

(2) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति, उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर करने के लिए, अभ्यर्थियों की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(3) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों से की जायेगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(4) आरक्षित रिक्तयों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया उप–नियम (2) में उल्लेखित नियमों एवं शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी।

(14) पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता की शर्तें.–

(1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों मामलों पर विचार करेगी, जिन्होने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद पर, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि अनुसूची–4 (क) तथा 4 (ख) के कॉलम (4) में यथा विनिदिष्ट हैं, से कम न हो, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरणः– पदोन्नति की अर्हता हेतु संगणना की रीति–वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा

की कालावधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फिडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फिडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने के तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी।

(15) उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.–

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तयों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(2) पदोन्नति के लिए व्यक्तियो की चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड वरिष्ठता सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी।

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–4 (क) तथा 4 (ख) के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरणः– व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(16) चयन सूची.–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गयी सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा अंतर्विष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची की विधिमान्यता उस कैलेण्डर वर्ष की तारीख से एक वर्ष तक होगी, जिसमें उसे तैयार किया गया है:

परंतु चयन सूची में सम्मिलित कियी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

(17) **चयन सूची से सेवा में नियुक्तिः—**

(1) चयन सूची में सम्मलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जाएगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक की चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

(18) **परीवीक्षा.**— सेवा में सीधी भर्ती/पदोन्नत किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्षों की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(19) **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(20) **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हों, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

(21) **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

(22) **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, उप—सचिव.

अनुसूची–एक

(नियम 5 देखिये)

विभाग का नाम : शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ रायपुर

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	कार्यालय अधीक्षक	01	छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री अधीनस्थ (तृतीय वर्ग) लिपिकीय संवर्ग	9300–34800	4300	संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छ.ग., रायपुर	
2	लागत लेखापाल	01	तदैव	9300–34800	4200	तदैव	
3	मुख्य लेखापाल	01	तदैव	5200–20200	2800	तदैव	
4	शीघ्र लेखक ग्रेड–तीन	01	तदैव	5200–20200	2800	तदैव	
5	मुख्य लिपिक	02	तदैव	5200–20200	2800	तदैव	
6	उत्पादन संगणक	01	तदैव	5200–20200	2800	तदैव	
7	लेखापाल	01	तदैव	5200–20200	2800	तदैव	
8	भण्डारी	02	तदैव	5200–20200	2800	तदैव	
9	सहायक ग्रेड–2	13	तदैव	5200–20200	2400	तदैव	
10	सहायक ग्रेड–3	25	तदैव	5200–20200	1900	–तदैव– और/ या कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थ उप–संचालक कार्यालय के लिए	
11	समयपाल (टाईम कीपर)	2	तदैव	5200–20200	1900	तदैव	

अनुसूची–दो

(नियम 6 देखियें)

विभाग का नाम : शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ रायपुर

स.क. (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	कुल पदों की संख्या (3)	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		टिप्पणियाँ (6)
			सीधी भर्ती / चयन द्वारा (नियम 6 (क) देखिए) (4)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा (स्थायी/मूल) (नियम 6 (ख) देखिए) (5)	
1	कार्यालय अधीक्षक	01	निरंक	100%	
2	लागत लेखापाल	01	निरंक	100%	
3	मुख्य लेखापाल	01	निरंक	100%	
4	शीघ्र लेखक ग्रेड–तीन	01	100%	निरंक	
5.	मुख्य लिपिक	02	निरंक	100%	
6	उत्पादन संगणक	01	निरंक	100%	
7	लेखापाल	01	निरंक	100%	
8	भण्डारी	02	निरंक	100%	
9	सहायक ग्रेड–2	13	निरंक	100%	
10	सहायक ग्रेड–3	25	75%	25%	
11	समयपाल (टाईम कीपर)	02	100%	निरंक	

अनुसूची–तीन

(नियम 9 देखिए)

विभाग का नाम : शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़, रायपुर

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद/सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा		विहित शैक्षणिक अर्हता
				छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए	अन्य के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़, रायपुर	(तृतीय वर्ग) लिपिकीय सेवा	1. शीघ्रलेखक वर्ग–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा, हिन्दी मुद्रलेखन में 25 शब्द प्रति मिनट की गति। (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा, अंग्रेजी मुद्रलेखन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।

						3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा तथा 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।
		सहायक ग्रेड–3	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
						2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
						3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा तथा 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।

अनुसूची –चार

(नियम 14, 15 तथा 16 देखिए)

विभाग का नाम– शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़, रायपुर

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	कॉलम (4) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु कॉलम (2) के पद पर सेवा की कालावधि	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है।	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़	1. लागत लेखापाल	5 वर्ष	कार्यालय अधीक्षक	संयुक्त संचालक/उप–संचालक, संचालक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। उप संचालक की अनुपस्थिति में, सहायक संचालक लिये जा सकेंगे।
	2. लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)/मुख्य लेखापाल	5 वर्ष	लागत लेखापाल	–तदैव–
	3. मुख्य लिपिक	5 वर्ष	मुख्य लेखापाल	–तदैव–
	4. उत्पादन संगणक/लेखापाल/भण्डारी/सहायक ग्रेड–दो	5 वर्ष	मुख्य लिपिक	–तदैव–
	5. सहायक ग्रेड–दो लेखा पशिक्षित	5 वर्ष	लेखापाल/भण्डारी	–तदैव–
	6. सहायक ग्रेड–तीन/मुद्रलेखक	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–दो/उत्पादन संगणक	–तदैव–
	7. चतुर्थ वर्ग	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–तीन (सहायक ग्रेड–तीन के 25% पद, चतुर्थ श्रेणी के उन तकनीकी तथा गैर तकनीकी ज्ञान रखने वालों से भरे जाएंगे, जो वर्ग तीन की अपेक्षित अर्हताओं को पूरी करते हैं)	–तदैव–

Raipur, the 3rd September 2011

No. F 3-97/राजस्व–2/2009.—In exerciseof the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the Recruitment of Chhattisgarh Printing and Stationery Class-III (Clerical Grade) Services, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-**
   (1) These Rules may be called the Chhattisgarh Printing and Stationery Class-III (Clerical Grade) Service and Recruitment Rules, 2011.

   (2) These Rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definition**.- In these rules, unless the context otherwise requires.-
   (a) **"Appointing Authority"** in respect of a service means such authority to whom the Government has conferred the powers to make appointment to the service or post or may be conferred later:
   (b) **"Examination"** means the competitive examination for recruitment conducted under rule 11:
   (c) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh:
   (d) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh:
   (e) **"Other Backward Class"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time:
   (f) **"Selection Committee"** means Selection Committee that will be constituted by the Appointing Authority for recruitment or promotion under these rules:
   (g) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules:
   (h) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India:
   (i) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India:
   (j) **"Service"** means Chhattisgarh Printing and Stationery Class-III (Clerical Cadre) Service:
   (k) **"State"** means State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.-** Services shall consist of the following persons, namely:-
   (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I:

   (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

   (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Pay scales etc.-** The classification of service, the scale of pay attached thereto and number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis

6. **Method of Recruitment.-**

(1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be made by following methods, namely:-

(a) by direct recruitment through competitive examination or by selection or by merit selection or by interview :

(b) by promotion of the members of the service as shown in Schedule-IV:

(c) By transfer deputation of persons who hold such post in a substantive capacity in such service as specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons to be recruited as under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, after approval of the Government of Chhattisgarh General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However, Head of the Department should set-up a Selection Committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service (Reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must fulfill the following conditions, namely:-

(1) Age.-

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4)

of Schedule-III on the first day of January, next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 5 (five) years for the candidate belonging to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 (ten) years to the women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be above the age of 38 (thirty eight) years:

(ii) A candidate holding a temporary post including work charge employees, contingency paid employees and person employed in project implementing committee, applies for any other post should not be more than 38 (thirty eight) years of age:

(iii) A candidate who is "retrenched government servant" will be allowed to deduct from his age the period of all permanent/temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment for not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen who is enrolled for the second time and discharged on-
(a) Completion of short term engagement;
(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);
(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;
(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-short. wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of two years for those candidates who are holding green card under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of superior caste partner of a couple awarded under the Inter-Caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Backward Classes Development Department.

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of five years in respect of Saheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaja Praveer Chand Samman holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State/Corporation/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of the Home Guards for the period of service rendered so by them, subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years and the instruction issued from time to time by General Administration Department regarding age limit will be applicable.

Note:-

(1) Candidates who are admitted to the examination/ selection under the concessions mentioned in clause (d) (i) and (d) (ii) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application they resign from service either before or after examination/selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the services or post after submitting the application.

(2) In no other case will these age limit be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(k) In respect to upper age limit the directive of Appointing Authority issued from time to time will also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(2) **Educational Qualification.-** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for service as shown in schedule-III.

(3) **Fees.-** The candidate must pay the fees prescribed by Government.

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for written examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidate shall be final.-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed for appearing in the examination for being interviewed.

11. **Direct recruitment by Competitive Examination/Selection.-**

(1) Direct recruitment by Competitive Examination- Appointing Authority shall constitute a selection committee comprising of three members:

(i) The examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine, in consultation with the Government, from time to time;

(ii) The examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct Recruitment by Selection-

(a) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine:

(b) The selection of candidates shall be done by the Selection Committee based on their interview; and

(c) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation)

Act, 1994 (No.21 of 1994) and as per the orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes selected by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment thirty percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision For Appointment of Women) Rule, 1997.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling up the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority, that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) There shall be reserved post for disabled candidate in accordance with the directions issued by the General Administration Department.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.-**

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency in administration shall be sent to the Appointing Authority. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confer no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13 **Appointment by promotion.-**

(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the promotion-selection committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/selection committee and the number of members of promotion/selection committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion to the members of service specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) there of. the eligibility of candidate. selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule. 2003 and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall apply.

(3) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the methods described in sub-rule (2) and instructions issued by the General Administration Department of Government from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion/transfer.-**

(1) Subject to the provisions of the sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed not less than such number of years of service as mentioned in column (4) of Schedule-IV(A) and IV (B) on those posts (whether officiating or substantive) or any other post declared equivalent thereto and are within the zone of consideration. in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of calculation for qualification of promotion- The calculation for period of qualifying service on 1st. January of the year in which the departmental promotion committee/scrutiny committee is called, shall be calculated from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/ part of service/ pay scale of the post and not from the date of joining the feeder cadre/ part of service/ pay scale.

(2) The promotion shall be according to the reservation roster prescribed in Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rule, 2003.

15. **Preparation of List of Suitable candidates.-**

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and as are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The criteria for preparation of select list of persons for promotion shall be based on seniority subject to fitness.

(3) The names of employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV (A) and IV (B) at the time of preparation of each select list.

Explanation- The person whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Selection list.-**

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the Select list for promotion of the members of the service from the post mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (4) of the Schedule-IV.

(2) The validity of the selection list will be one year from the date of that calendar year in which it is prepared:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.-**

(1) Appointment of the employees included in the select list shall be made to the post of service-cadre according to Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.-** Every person directly recruited/promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that a case shall not be dealt with in any manner which is less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving.-** All rules corresponding to these rules and enforced immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Deputy Secretay.

SCHEDULE -I
(See Rule 5)

Name of Department – Government Printing & Stationery, Chhattisgarh, Raipur

S. No	Name of Post included in the service	Number of Posts	Classification	Pay-Scale	Grade pay	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Office Superintendent	01	Chhattisgarh Printing and Stationery subordinate . (Class-III clerical cadre	9300-34800	4300	Director, Government Printing & Stationery, Chhattisgarh, Raipur.	
2	Cost Accountant	01		9300-34800	4200		
3	Head Accountant	01		5200-20200	2800		
4.	Stenographer-Grade-III	01		5200-20200	2800		
5	Head clerk	02		5200-20200	2800		
6	Production Computer	01		5200-20200	2800		
7	Accountant	01		5200-20200	2800		
8	Store-keeper	02		5200-20200	2800		
9	Assistant Gr. II	13		5200-20200	2400		
10	Assistant Gr. III	25		5200-20200	1900	-do- and/or for Deputy Director office posted in HOD office	
11	Time Keeper	02		5200-20200	1900	-do-	

SCHEDULE- II
(See Rule 6)

Name of Department – Government Printing and Stationery, Chhattisgarh , Raipur

Sl. No.	Name of Post included in the service	No. of total posts	Percentage of the Duty Posts to be filled in		Remarks
			by direct recruitment/ Selection [See rule 6(a)]	by Promotion of members of the service (Permanent/ Substantive) [See rule 6 (b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Office Superintendent	01	-	100%	
2	Cost Accountant	01	-	100%	
3	Head Accountant	01	-	100%	
4	Stenographer Grade-III	01	100%	-	
5	Head clerk	02	-	100%	
6	Production Computer	01	-	100%	
7	Accountant	01	-	100%	
8	Store-keeper	02	-	100%	
9	Assistant Grade- II	13	-	100%	
10	Assistant Grade- III	25	75%	25%	
11	Time Keeper	02	100%	-	

SCHEDULE- III
(See Rule 9)

Name of Department – Government Printing and Stationery, Chhattisgarh, Raipur

Name of the Department	Name of Service	Name of Post/Service	Minimum Age Limit	Upper age limit		Prescribed Educational Qualification
				For residents of Chhattisgarh State	For others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Government Printing and Stationery, Chhattisgarh, Raipur	(Class-III) clerical service	1. Stenographer Grade-III	18 years	35 years	30 years	1. Should have passed Higher secondary under 10+2 system or 1st year exami-ation in Bachelor Degree from any recognized Board/University. 2. Should have passed Hindi Shorthand from any recog-ized Board/Institution or Shorthand and Typing Council: a) Shorthand typing exami-nationith with speed of 100 wpm in Hindi shorthand, 25 wpm in Hindi typing for Hindi Stenographer. b) Shorthand typing exa-mination with speed of 100 wpm in English Stenographer. 3. Should possess 1 year certificate/diploma in Computer Data Entry/ Programming from any recognized Institution and should have speed of 10,000 key depression per hour.
		2. Assistant Grade-III	18 years	35 years	30 years	1. Should have passed Higher secondary under 10+2 system or 1st year examination in Bachelor Degree from any recognized Board/ University. 2. Should have passed Hindi Typing with speed of 25 wpm from any recognized Board/ Institution. 3. Should possess 1 year certificate/diploma in Computer Data Entry/ Programming from any recognized Institution and should have speed of 5,000 key depression per hour.

SCHEDULE -IV
(See Rule 14, 15 & 16)

Name of Department – Government Printing and Stationery, Chhattisgarh, Raipur.

Name of Department	Name of the Post from which promotion is to be made	Length of service of the post in column (2) eligible for promotion to the post in column (4)	Name of the Post to which promotion is to be made.	Name of the members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Government Printing and Stationery, Chhattisgarh	1. Cost Accountant	5 years	Office Superintendent	Joint Director. Deputy Director to be appointed by the Director. In the absence of Deputy Director, Assistant Director may be taken.
	2. Accountant (Accounts training passed/ Head Accountant)	5 years	Cost Accountant	-do-
	3. Head Clerk	5 years	Head Accountant	-do-
	4. Production Computer/ Accountant/ Store keeper/ Assistant Grade- II	5 years	Head Clerk	-do-
	5. Assistant Grade-II Account Training Passed.	5 years	Accountant/Store Keeper	-do-
	6.Assistant Grade-III/Typist	5 years	Assistant Grade-II/ Production Computer	-do-
	7. Class–IV	5 years	Assistant Grade-III (25% of the post of Assistant Grade-III shall be reserved for Class –IV Technical and non-technical who fulfill the required qualification of Grade-III)	-do-

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 3-97/राजस्व-2/2009.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुद्रण एव लेखन सामग्री चतुर्थ श्रेणी (तकनीकी) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ मुद्रण एवं लेखन सामग्री चतुर्थ श्रेणी (तकनीकी) सेवा तथा भर्ती नियम, 2011 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पद में नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाए;

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;

(ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(घ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(च) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती तथा पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

(छ) "अनूसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ,

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मुद्रण एव लेखन सामग्री चतुर्थ श्रेणी (तकनीकी) सेवा;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम मुद्रण एवं लेखन सामग्री चतुर्थ श्रेणी (तकनीकी) सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन**.– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात:–

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हो; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5 **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि**.– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या मे, समय–समय पर, या तो स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका**.–

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या मेरिट के आधार पर चयन एवं साक्षात्कार द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार में दर्शाये गये अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।

(2) उप–नियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अनुमोदन के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीको को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए मेरिट (गुणागुण) के आधार पर चयन के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा। तथापि विभागाध्यक्ष द्वारा एक चयन समिति गठित की जानी चाहिए, जो इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान भी लागू होंगे।

7 **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**— चयन के लिये पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(1) आयु—

(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और अनुसूची—तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक हैं उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(छ) उपरोक्त किसी एक या अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट दिए जाने के उपरांत, सेवा में प्रवेश हेतु, आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ज) उच्चतर आयु सीमा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(झ) किसी भी मामले में उपरोक्त उल्लिखित एक या एक से अधिक संवर्ग के अन्तर्गत आयु में छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) **शैक्षणिक अर्हता** — अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए जैसे कि अनुसूची—तीन में दर्शाई गई हैं।

(3) **फीस.**— अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन/साक्षात्कार के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– चयन/साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नही दी जायेगी।

11. (1) **चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.**– नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य समाविष्ट होंगे।

(एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिये चयन/साक्षात्कार, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर शासन के परामर्श से अवधारित करे।

(दो) चयन/साक्षात्कार, शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(2) **चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती**–

(एक) सेवा में भर्ती के लिये चयन/साक्षात्कार, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि शासन, नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अंतरालों पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातिया, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हे प्रशासन मे दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, सीधी भर्ती के प्रक्रम में, 30% (तीस) प्रतिशत पद, महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखें जायेंगे।

(7) जहा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप मे विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय मे यह पाया जाए कि अंनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थी पर्याप्त सख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेगें तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) विकलाग अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पदों को आरक्षित किया जायेगा।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.–**

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाए तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन मे दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया है, तैयार करेगा एवं नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंम्भिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे:

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा पदों को भरे जाने के संबंध में पदोन्नति/चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामांकित किए गए सदस्यों में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति संवर्ग का प्रतिनिधि न हो, तो समान प्रास्थिति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति संवर्ग का एक सदस्य, पदोन्नति/चयन समिति में शामिल किया जाएगा तथा पदोन्नति/चयन समिति के सदस्यों की संख्या, उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।

(2) अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट पदों मे, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति, अभ्यर्थियों की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति,

छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में यथा विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(3) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (2) में उल्लिखित रीति के अनुसार तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर ज़ारी निर्देशों के अनुसार होगी।

14 **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद पर (चाहे मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से), इतने वर्षो की सेवा जो कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित है, से कम न हो, पूर्ण कर ली हो तथा उप–नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण –

(1) **पदोन्नति की अर्हता हेतु संगणना की रीति.** संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नही।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

15 **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**–

(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी।

(2) पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची की तैयारी के लिए मापदण्ड, वरिष्ठता सह उपयुक्तता, पर आधारित होगी।

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण – ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. चयन सूची.–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पद से, अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची की विधिमान्यता, उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें यह तैयार की जाती है, की तारीख से एक वर्ष की होगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17 **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदो पर नियुक्तियाँ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जाएगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18 **परिवीक्षा.—** सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त/पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19 **निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

20 **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे उचित एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21 **व्यावृत्ति.—** इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य शासन द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22 **निरसन तथा व्यावृत्ति.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, उप—सचिव.

अनुसूची एक
(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम – शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ रायपुर

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	डार्करूम असिस्टेंट	02	चतुर्थ श्रेणी तकनीकी संवर्ग	5200–20200	1800	संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ रायपुर	
2	इंक मैन	26		4750–7440	1400		
3	पेस्टिंग ब्यॉय	08		4750–7440	1400		
4	आग्जीलरी	19		4750–7440	1400		

अनुसूची–दो
(नियम 7 देखिये)

विभाग का नाम– शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ रायपुर

स. क्र.	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [देखिये नियम 6 (क)]	पदोन्नति द्वारा [देखिये नियम 6 (ख)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डार्करूम असिस्टेंट	02	50%	50%	
2	इंक मैन	26	50%	50%	
3	पेस्टिंग ब्यॉय	08	50%	50%	
4	आग्जीलरी	19	50%	50%	

अनुसूची–तीन
(नियम 9 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु		विहित शैक्षणिक अर्हता
				छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए	अन्य के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ रायपुर	(चतुर्थ श्रेणी) तकनीकी सेवा	1. डार्करूम असिस्टेंट	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	1 पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 प्रोसेस कक्ष में दो वर्ष का अनुभव
		2. इंक मैन	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	1 पांचवीं कक्षा त्तीर्ण होना चाहिए। 2 मुद्रण कक्ष में अनुभव
		3. पेस्टींग ब्यॉय	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	1 पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 बाइन्डिग एवं पेस्टिंग कार्य में अनुभव
		4. आग्जीलरी	21 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	1 पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 मुद्रण कार्यप्रणाली में अनुभव

अनुसूची—चार
(नियम 15 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	कालम (4) के पद में पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए कालम (2) के पद पर सेवा की कालावधि	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ	आग्जीलरी / इंक / पेस्टिंग ब्वाय / डार्क रूम असिस्टेंट	5 वर्ष	कापी होल्डर / जूनियर वाईण्डर / प्लेट मेकर / सहायक वेब आफसेट आपरेटर / कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर	(1) संयुक्त संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री (2) संयुक्त संचालक / उप संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री (3) सहायक संचालक, शासकीय प्रेस (वरिष्ठतम)
	भृत्य / इन्फिरियर / पैकर / चौकीदार / हमाल	5 वर्ष	डार्क रूम असिस्टेंट / आग्जीलरी / इंकमैन / पेस्टिंग ब्वाय	

Raipur, the 3rd September 2011

No. F 3-97/राजस्व–2/2009.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the Recruitment of Chhattisgarh Printing and Stationery Class-IV (Technical) Services, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Printing and Stationery Class-IV (Technical) Service and Recruitment Rules, 2011.

   (2) **These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.**

2. **Definition**.- In these rules, unless the context otherwise requires.-

(a) "**Appointing Authority**" in respect of service means such authority to whom the Government has conferred the powers to appointment to the service or post or may be conferred later:

(b) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(c) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

(d) "**Other Backward Classes**" means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time:

(e) "**Schedule**" means a Schedule appended to these rules:

(f) "**Selection Committee**" means a selection committee constituted by the Appointing Authority for recruitment or promotion under these rules;

(g) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India:

(h) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(i) "**Service**" means the Chhattisgarh Printing and Stationery Class-IV (Technical) Service;

(j) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.**- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every Class-IV (Technical) member of the State Printing and Stationery Service.

4. **Constitution of the service.**- Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.**- The classification of service, the scale of pay attached thereto and number of posts included in the service, shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I;

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.-**

(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by following methods, namely:

(a) by direct recruitment through competitive examination or by selection on merit basis and interview ;

(b) by promotion of the members of the service as shown in Schedule-IV.

(2) The number of persons to be recruited as under clause (a) or (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, after approval of the Government of Chhattisgarh, General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However, Head of the Department should set-up a Selection Committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service (Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No.21 of 1994) shall be applicable.

7. **Appointment to the service.-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for selection, a candidate must fulfill the following conditions, namely:-

(1) **Age-**

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III on the first day of January, next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 5 (five) years for the candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 (ten) years to the women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 2 (two) years for those candidates who are holding Green Card under the Family Welfare Programme.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of superior caste partner of a couple awarded under the Inter-Caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development Department.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporation/ Boards.

(g) After providing relaxation in the age limit on the basis of any one or more of the above for entering in government service, the age limit of 45 years shall not exceed.

(h) In respect to upper age limit the directive of Appointing Authority issued from time to time will also be applicable.

(i) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(2) **Educational qualification**- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for service as shown in Schedule-III.

(3) **Fees**-The candidate must pay the fees prescribed by Government.

9. **Disqualification.**- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for selection/interview.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidate shall be final.**- The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the selection/interview.

11. (1) **Direct recruitment by selection/interview.**– Appointing Authority shall constitute selection committee consisting of three members.

(i) The Selection/Interview for direct recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority in consultation with the Government, determine from time to time.

(ii) The Selection/Interview shall be conducted by the Appointing Authority as per orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct recruitment by selection/interview-

(i) The Selection/ Interview for recruitment to the service shall be made at such intervals as the Government with the consultation of Appointing Authority may determine from time to time.

(ii) The selection of the candidates will be done by Selection Committee based on interview.

(iii) The selection committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and as per the orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes selected by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment, 30 (thirty) percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling up the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority, that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) There shall be reserved post for disabled candidates in accordance with the directions issued by the General Administrative Department.

12. List of candidates recommended by Selection Committee.-

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by

such standards as may be determine by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion.-**

(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the promotion/selection committee in respect of the post to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/selection committee and the number of members of promotion/selection committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion to the member of service specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (4) there of, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003 and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall apply.

(3) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the methods described in sub-rule (2) and instructions issued by the General Administration Department of Government from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion.-**

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed not less than such number of years of service as mentioned in column (3) of Schedule-IV on those posts (whether officiating or substantive) or any other

post declared equivalent thereto and are within the zone of consideration, in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of calculation for qualification of promotion- The calculation for period of qualifying service on 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is called, shall be calculated from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/ part of service/ pay scale of the post and not from the date of joining the feeder cadre/ part of service/pay scale.

(2) The promotion shall be according to the reservation roster prescribed in Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rule, 2003.

15. Preparation of list of suitable candidates.-

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The criteria for preparation of select list of persons for promotion shall be based on seniority subject to fitness.

(3) The names of the employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation- The person whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select list.-

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the Select list for promotion of the members of the service from the post mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (4) of the Schedule-IV.

(2) The validity of the selection list will be one year from the date of that calendar year in which it is prepared:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list.-

(1) Appointment of the employees included in the select list shall be made to the post of service-cadre according to Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(2). It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.-** Every person directly recruited/promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that a case shall not be dealt with in any manner which is less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving.-** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Deputy Secretary.

SCHEDULE –I
(See Rule 6)

Name of Department – Government Printing and Stationery, Chhattisgarh, Raipur

Sl. No.	Name of Post	Number of Post.	Classification	Pay-Scale	Grade pay	Appointing authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Dark Room Assistant	02	Class-IV Technical cadre	5200-20200	1800	Director, Government Printing and Stationery, Chhattisgarh, Raipur	
2.	Ink Man	26		4750-7440	1400		
3.	Pasting Boy	08		4750-7440	1400		
4.	Auxiliary	19		4750-7440	1400		

SCHEDULE- II
(See Rule 7)

Name of Department – Government Printing and Stationery, Chhattisgarh, Raipur

Sl. No.	Name of Post	Number of total posts	Percentage of the Number of Duty Posts to be filled in		Remarks
			by direct recruitment [See rule 6 (a)]	by Promotion [See rule 6 (b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dark Room Assistant	02	50%	50%	
2.	Ink Man	26	50%	50%	
3.	Pasting Boy	08	50%	50%	
4.	Auxiliary	19	50%	50%	

SCHEDULE- III
(See Rule 9)

Name of the Department	Name of service	Name of Post	Minimum Age Limit	Upper age limit		Educational Qualification Prescribed
				For Residents of Chhattisgarh State	For others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Government Printing and Stationery, Chhattisgarh, Raipur	(Class-IV) Technical service	1. Dark Room Assistant	21 years	35 years	30 years	1. should have pass 5th class. 2. 2 years experience in processing Section
		2. Ink Man	21 years	35 years	30 years	1. should have pass 5th class. 2. Experience in Printing Section
		3. Pasting Boy	21 years	35 years	30 years	1. should have pass 5th class. 2. Experience in Binding, Pasting etc.
		4. Auxiliary	21 years	35 years	30 years	1. should have pass 5th class. 2. Experience in Printing process.

SCHEDULE -IV
(See Rule 15)

Name of Department	Name of the Post from which promotion is to be made	Length of service of the post in column (2) eligible for promotion to the post in col. (4)	Name of the Post to which promotion is to be made	Name of the members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Government Printing and Stationery, Chhattisgarh	Auxiliary/Inker/Pasting boy/Dark room assistant	5 years	Copy holder/Junior binder/Plate maker/Assistant Web offset operator/Junior single colour machine operator.	(1) Joint Director, Printing and Stationery (2) Joint Director/ Deputy Director, Government Printing and Stationery (3) Assistant Director, Government. Press. (Senior most)
	Peon/ Inferior/ Packer/ Chaukidar/ Hammal	5 years	Dark Room Assistant/ Auxiliary/Ink man/ Pasting boy	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक/2586/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	सिब्दी	0.28	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना, संभाग दुर्ग.	खरखरा मोंहदीपाट बरबसपुर माइनर एवं सिब्दी माइनर क्र.-1 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक 2589/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	सिल्दी [illegible]	1.73	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	खरखरा मोंहदीपाट मुख्य नहर नाली एवं माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्रमांक 2430/अ.भू.अ./प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	बोरिया प. ह. नं. 28	7.18	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	तरकोरी बोरिया जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक/6161 भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	तिलईरवार प. ह. नं. 10/9	57.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	तिलईरवार जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 जुलाई 2011

क्रमांक 14/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अमाली	4.588	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जुलाई 2011

क्रमांक 15/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सीस	6.311	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सीस जलाशय योजना के बांध निर्माण, स्पील चैनल एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 74/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कांशीचुंआ प. ह. नं. 1	0.081	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) संभाग, रायगढ़.	पंडरीपानी कांशीचुंआ मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 75/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	चारभांटा प. ह. नं. 4	0.343	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) संभाग, रायगढ़.	लेबड़ा-चारभांठा मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 76/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पंडरीपानी प. ह. नं. 1	0.546	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) संभाग, रायगढ़.	पंडरीपानी कांशीचुंआ मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./25/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तेन्दुआ प. ह. नं. 32	49/07	0.069	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर.	नंदनवन जरवाय, हीरापुर मार्ग लंबाई 6.00 कि.मी. हेतु भू-अर्जन.
			49/28	0.072		
			49/08	0.020		
			49/03	0.092		
			49/02	0.040		
			49/15	0.042		
			48/11	0.047		
			48/06	0.002		
			48/08	0.028		
			48/01	0.192		
			48/10	0.008		
			66/02	0.239		
			65/02	0.022		
			65/01	0.007		
			65/04	0.008		
		योग	15	0.888		

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक 1167/भू-अर्जन/प्र.क्र.-37 अ/82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	दुलना	699	0.23	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर.	दुलना व्यपवर्तन योजना
			701	0.07		
			639	0.01		
			644	0.01		
			643	0.01		
			645	0.02		
			638	0.12		
			646	0.15		
			583	0.01		
			628	0.02		
			629	0.04		
			647	0.04		
			649	0.16		
			650	0.15		
			702	0.35		
			703	0.08		
			704	0.03		
			706	0.06		
			705	0.04		
			707	0.06		
			712	0.02		
			713	0.155		
			720	0.34		
		योग	23	2.175		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 39 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद प. ह. नं. 21	402	0.02	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, क्रमांक-1, रायपुर.	नवागांव, पलौद, उपरवारा मार्ग निर्माण हेतु.
		योग	1	0.02		

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2011

प्रकरण क्रमांक/09/अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	मैनपुर	सरनाबहाल प. ह. नं. 36	5	0.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	घुमरापदर जलाशय योजना के मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.
			10	0.14		
			34	0.28		
			134/1	0.07		
			408	0.09		
			134/2	0.19		
			189	0.28		
			186	0.21		
			431/1	0.33		
			185	0.19		
			410/2	0.06		
			182/2	0.11		
			182/1	0.13		
			196	0.37		
			197/1	0.08		
			198/3	0.16		
			197/2	0.06		
			489	0.33		
			501	0.33		
			479	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			506	0.18		
			514	0.07		
			507	0.05		
			508	0.06		
			91	0.18		
			92	0.08		
			90	0.09		
			383	0.17		
			386	0.06		
			389	0.017		
			88	0.06		
			89	0.05		
			60	0.15		
			67	0.09		
			87	0.10		
			86/1	0.15		
			86/3	0.05		
			85/1	0.16		
			38	0.20		
			82	0.10		
			74	0.09		
			81	0.25		
			317	0.22		
			71	0.10		
			80	0.10		
			79	0.06		
			78	0.05		
			75	0.08		
			68	0.09		
			244	0.17		
			66	0.02		
			238	0.12		
			254	0.05		
			264	0.07		
			275/2	0.12		
			256/1	0.13		
			265/1	0.14		
			263	0.05		
			265/2	0.07		
			265/3	0.11		
			274	0.14		
			270	0.16		
			271	0.16		
			333	0.04		
			334/1	0.27		
			69	0.20		
			246	0.31		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			419	0.20		
			417	0.34		
			416	0.20		
			396	0.40		
			376/2	0.05		
			467	0.05		
			400/4	0.03		
			465	0.03		
			466	0.05		
			318/2	0.03		
			403	0.04		
			372/1	0.05		
			421/1	0.05		
			410/3	0.08		
			421/4	0.20		
			410/4	0.04		
			410/1	0.18		
			401	0.04		
			400/2	0.15		
			405/1	0.02		
			402	0.08		
			04	0.16		
			385	0.04		
			372/2	0.04		
			372/3	0.04		
			370/1	0.10		
			198/1	0.26		
			203	0.36		
			444/1	0.12		
			458	0.05		
			438/1	0.06		
			456	0.05		
			457	0.04		
			474	0.12		
			454	0.07		
			476	0.07		
			477	0.16		
			473	0.05		
			475	0.04		
			438/2	0.07		
		योग	107	13.48		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 जुलाई 2011

क्रमांक 16 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	मड़वा प.ह.नं. 41	0.206	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत विद्युत गृह निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्रमांक 20/क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	तेन्दूभाठा प.ह.नं. 49	0.303	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्रमांक 21/क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	कन्हाईबंद प.ह.नं. 50	2.662	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्रमांक 22/क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	मड़वा प.ह.नं. 41	0.180	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह निर्माण के अन्तर्गत मुख्य द्वार तक भारी वाहनों के लिये पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 जून 2011

क्रमांक 07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मरवाही.

(ग) नगर/ग्राम-धनौरा, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.14 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1364	0.18
1374/2	0.02
1375/2	0.07
1375/1	0.07
1372/1	0.02
1377/1	0.06
1377/2	0.06
1378	0.04
1360	0.01
1359	0.13
1358	0.13
1379	0.18
1357/1	0.16
759	0.28
758	0.17
763/1	0.07
764/1	0.28
819/1	0.08
819/2	0.08
765/2	0.05
योग 20	2.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक 02 अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-कोरजा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.26 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
14/6, 16/1	0.16
6/1 च, 12/4	0.11
6/1 छ, 12/3	0.12
6/1 ज, 12/2	0.11
12/1	0.11
7/1	0.14
216, 217, 220	0.52
218 क, 219	0.12
225/1	0.18
218 क, 219	0.12
225/2	0.16

(1)	(2)
224 2	0.41
योग 12	2.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुदरी जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक 7/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
29/3 घ	0.26
योग 1	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुदरी जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011.

क्रमांक 25/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कोरजा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.05 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
76/1	0.14
180	0.12
107/1 द	0.10
14/9, 16/8	0.09
178	0.14
107/1 त	0.13
107/1 ठ	0.03
107/1 घ	0.13
80/1	0.15
23/2	0.02
32	0.19
93/1	0.28
77/1	0.30
101/1	0.45
22/4	0.14
95/4	0.28
107/1 प	0.32
22/3	0.04
101/4	0.43
107/1 न	0.29
77/2	0.29
176/1	0.15
22/5	0.10
22/2	0.19
95/1	0.67
6/1 ठ	0.30

(1)	(2)
95/3 क	0.37
17/1	0.12
80/4	0.14
88/1	0.30
98/1	0.08
6/1 ट	0.34
34	0.08
33	0.12
177	0.36
107/1 त्र	0.38
107/1 ख	0.08
14/6, 16/1	0.28
107/1 क्ष	0.39
101/5	0.30
76/2	0.28
80/3	0.14
107/1 थ	0.15
81/1	0.22
82/1	0.22
88/2	0.20
14/8, 16/6	0.03
योग 47	10.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुदरी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 जून 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 1 अ/82, वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-खैरघट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.200 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
805	0.05
803	0.16
802	0.20
807/2	0.09
795	0.04
800	0.01
798/1	0.10
816	0.15
819/2	0.10
822	0.19
819/1	0.13
737	0.11
735	0.05
736	0.11
824	0.01
820	0.19
706	0.13
595	0.02
707	0.06
685/1	0.11
685/2	0.15
599/1	0.01
685/5	0.01
798/2	0.03
680	0.03
681	0.03
678	0.09
594	0.03
676	0.08
606	0.09
578	0.13
605/1	0.02
605/4	0.09
599/2	0.03
602	0.05
599/3	0.02

(1)	(2)
685/4	0.01
593	0.06
596	0.11
434	0.01
437	0.05
435	0.03
436	0.05
426	0.13
408	0.02
409	0.11
259	0.06
410	0.03
411	0.03
412	0.04
415	0.10
260	0.13
261	0.01
262	0.04
268	0.16
269	0.06
285	0.14
288	0.10
289	0.22
290	0.01
296	0.10
298	0.06
297/1	0.09
295	0.04
297/2	0.09
293	0.01
294	0.03
216	0.17
योग 68	5.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिमगा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2011

क्रमांक-क-भू-अर्जन-प्र.क्र. 2 अ 82, वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-बेनसांकरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.700 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
64	0.14
67	0.21
86	0.04
88	0.07
1120	0.13
1138	0.15
1137	0.03
1255	0.07
1232	0.10
1253	0.06
1304	0.07
1614	0.03
1303	0.03
1543	0.29
1678	0.22
1707	0.11
1708	0.02
1743	0.17
70	0.24
75	0.33
1226	0.02
1119	0.11
1140	0.04
1139	0.18
1227	0.06

(1)	(2)
1754	0.08
1275	0.02
1254	0.07
1277	0.08
1505	0.13
1276	0.02
1271	0.04
1712	0.08
1295	0.01
1306	0.09
1319	0.05
1351/1	0.07
1510	0.02
1511	0.01
1675	0.02
1588	0.11
1544	0.02
1753	0.21
1757	0.09
1589	0.14
1749	0.01
1750	0.14
1280	0.01
1752	0.12
1758	0.14
1759	0.12
73	0.14
1590	0.14
87	0.14
1617	0.10
1744	0.15
1121	0.19
1762	0.04
1228	0.04
1305	0.16
1229	0.09
1230	0.10
1278	0.10
1231	0.08
1256	0.01
1318	0.20
1351/4	0.04
1350	0.04
1508	0.07
1501	0.16
1545	0.01
1506	0.01
1550	0.04
1551	0.07
1615	0.09
1616	0.11
1618	0.01
1705	0.19
39/1	0.35
1502	0.01
1503	0.05
1713	0.21
39/2503	0.51
1552	0.05
1677	0.10
1741	0.02
65	0.01
79	0.01
1704	0.02
1587	0.01
66/2	0.01
योग 91	8.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिमगा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 10/अ-82/ वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेजबहार, प. ह. नं. 119
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.055 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
509/1	13.055
योग	13.055

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सामान्य आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल संभाग-2, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2011

क्रमांक 1287/क्र./वा./भू.अ. अ.वि.अ./प्र.क्र. 03/अ 82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-झांझ.,प. ह. नं. 71/16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.24
14/2	1.03
17	0.07
18	1.28
19	1.29
39	0.25
47	0.13
71	0:38
86/1	0.06
102	0.18
111	0.10
116	0.05
117	0.17
142	0.71
143/2	0.44
147	0.92
165	0.11
172	0.12
192	0.44
194	0.40
196	0.09
197	0.14
199	0.14
200	0.11
201	0.60
203	0.15
210	0.25
212	0.01
230	0.13
239/1	0.05
239/2	0.04
259	0.23
272	1.76
278	0.04
283	0.36
286	0.81
288	0.41
289	0.14
292	0.03
293	1.24
295	0.18
299	0.14
300	0.08
321	0.17
282/372	0.36
239/373	0.08
योग 46	16.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत प्लानिंग क्षेत्र फेज 01 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 जुलाई 2011

क्रमांक 293.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-डभरा
 (ग) नगर/ग्राम-रामभांठा, प. ह. नं. 08
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	444/1	0.040
योग	1	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेल माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्रमांक 02 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-जांजगीर
 (ग) नगर/ग्राम-नैला, प. ह. नं. 48
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.41 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	592/1	0.01
	593/2	0.20
	595	0.03
	606	0.16
	594	0.03
	607	0.25
	604/1	0.09
	596/1, 605/1	0.33
	601/1	0.28
	599/1	0.26
	600/1	0.13
	599/2	0.17
	600/2	0.03
	598/1	0.31
	601/3	0.13
योग	15	2.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मे.वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्रमांक 294.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कुसुमझर, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3 2	0.048
योग	1	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतापाली सब डि. वाय. नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्रमांक 295.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कंवलाझर, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	740	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कंवलाझर ब्रांच माइनर ऑफ सुखापाली माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्रमांक 296.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	994/1	0.049
योग	1	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरभांठा ब्रांच सब माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्रमांक 297.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.190 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1402/2	0.024
	1410/2	0.012
	1358/6	0.146
	1410/5	0.008
योग	4	0.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केकराभाठ माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्रमांक 13334 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-चन्दौदा
- (ग) नगर/ग्राम-हेड़सपुर, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-465.93 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/4, 758/11, 759/2, 759/3	2.50
1/6, 759/9	1.54
16/2	0.61
19/1, 20/1, 21/1	6.92
34/1	0.40
38	2.80
436	0.09
437	0.15
438	0.83
439	1.36
440	0.26
441, 450	0.52
442, 443	0.89
446	0.07
448	0.22
449	1.59
451	0.48
452/1	1.24
452/2	0.64
453/1	0.22
453/2	0.08
454	0.78
455	1.27
456/1	1.00
456/2	0.78
457/1	0.20
457/2	0.47
458/1	1.60
458/2	1.20
458/3	0.67
458/4	0.95
458/5	0.41
458/6	0.90
458/7	0.52
458/8	0.51
458/9	0.08

(1)	(2)
458/10	0.83
458/11	0.20
459	0.39
463/1	0.29
463/2	0.29
463/3	0.10
464	1.07
467	0.74
469/1	0.16
469/3	0.16
470/1	0.80
471	0.61
472/3, 472/4	0.51
485	0.25
665	0.21
666, 667	3.23
668, 669/2	0.32
669/1	2.25
669/3	0.09
671	0.15
672	1.56
673	0.06
674	0.17
675/1	0.14
675/2	0.45
675/3	0.54
675/4	0.25
675/5	0.40
675/7	0.14
676	0.10
677/1, 678/1	0.27
677/2, 678/2	0.26
677/3	0.26
679/1	0.44
681, 682, 717	2.83
683	0.72
684	0.72
685	0.72
686/1	1.00
686/2	0.37
686/3	0.70
702/1	0.20
703/1	1.80
703/2	0.42
704	0.58
705	1.31
706/1	0.25

(1)	(2)
706/2	0.06
706/3	0.46
706/4	0.16
706/5	0.20
706/6	0.15
706/7	0.11
706/8	0.20
706/9	0.44
707	0.05
708/1	0.63
708/2	0.63
708/3	0.83
708/4	0.50
708/5	0.49
709, 710/1	0.99
710/2	1.29
711/1	1.17
712/1	1.50
712/2	0.87
712/3	0.83
713/1	1.31
713/2	2.05
713/3	1.07
714	0.92
715/1	0.14
715/2	0.08
716	0.90
718	2.30
722, 723	0.91
724	0.40
725/1 क	0.74
725/1 ख	0.10
725/1 ग	0.04
725/1 घ	0.12
725/2	0.34
726	0.72
728	2.00
729	0.43
730/1	0.14
730/2, 733	0.06
730/4	0.11
730/5	0.10
731	0.41
732/1	0.05
732/2, 734	0.29
732/3	0.05
737, 739	1.54

(1)	(2)
738	0.09
740/1, 873, 874	2.43
740/2	3.62
741	0.93
742, 745	0.62
743	0.14
744	0.13
746/1	0.15
746/2	0.15
746/3	0.15
747/1, 748/1	0.38
747/2, 748/2	0.10
749/1, 750/1	0.39
749/2, 750/2	0.38
752/9	0.50
755	0.50
756	6.23
758/2	1.60
758/3	0.81
758/5	0.72
758/6	0.50
758/7	0.42
758/8	0.60
758/10	0.60
759/4, 760/4	0.64
759/5, 759/6, 760/3	0.64
759/7, 760/2	0.92
759/8, 760/1	0.62
761/1	0.21
761/2	0.21
761/3	0.21
761/4	0.26
761/5	0.27
762	0.87
763/1	0.40
763/2	0.22
763/3	0.50
763/4	0.41
763/5	0.97
763/6	0.50
764/1	1.10
764/2	3.20
765/1	0.80
765/3	1.20
766/1	1.00
766/2	0.42

(1)	(2)
766/3	0.42
767	0.94
768	0.45
769	2.94
770	3.00
771	1.04
775/1	0.40
775/2	0.76
776/1	1.78
776/2	0.50
777	0.84
778/1	0.20
778/2	0.58
779/1	0.50
779/2	0.70
779/3	1.00
780	1.02
781	0.63
782	0.33
783/1	2.02
783/2	1.00
783/3	1.00
787	1.10
788/1, 789, 872	2.91
788/2, 788/3	1.85
790	0.28
793	0.75
794	0.10
795/1	0.20
795/2	0.16
795/3	0.20
795/4	0.20
795/5	0.10
796/1	2.18
796/2	2.17
797/1, 798/1	1.03
799	0.57
800/2	0.15
800/3	0.05
800/5	0.15
800/7	0.15
800/8	0.06
800/9	0.06
800/12	0.05
800/16	0.05
800/17	0.05

(1)	(2)
800/18	0.05
800/20	0.15
801/3	0.04
801/4	0.02
801/5	0.06
801/8	0.03
801/11	0.04
801/12	0.03
801/14	0.40
801/16	0.25
801/17	0.45
801/18	0.15
801/19	1.45
801/20	0.10
801/21	0.10
801/24	0.08
801/25	0.04
801/26	0.37
801/27	0.04
801/34	0.26
801/35	0.02
801/36	0.02
801/42	0.02
801/44	0.04
801/46	0.78
801/47	0.20
801/48	1.00
801/49	0.60
801/53	0.03
801/54	0.25
801/56	0.03
801/57	0.15
801/58	0.04
801/59	0.26
802/1	0.34
802/2	0.35
802/3	0.69
803/1	0.20
803/2	0.50
803/4	0.90
803/6	0.05
803/7	0.30
803/8	0.20
803/9	0.87
803/10	0.48
803/11	0.30
804/2	1.00
804/3	0.70
804/4	0.70
804/5810/1, 2	1.02
804/6	0.62
804/7	2.70
804/8	1.20
804/10	0.90
804/11	0.23
804/14	2.20
804/15	0.56
804/16	0.10
804/18	0.05
804/20	0.10
804/21	0.63
805	1.10
806/1	1.29
806/2	0.58
806/3	0.53
807	0.92
808/1	0.37
808/3	1.53
809/1	0.19
809/2	0.77
809/3	0.30
809/4	0.85
809/5	0.75
810/4	0.70
810/6	1.40
810/7	1.20
810/8	1.20
810/9	0.30
810/13	0.60
810/14, 810/20	0.55
810/15	0.10
810/16	0.55
810/17	0.50
810/18	0.35
810/19	0.12
810/23	0.20
810/25	0.20
810/26	0.69
810/28	0.34
810/30	0.80
810/32	0.30
810/33	0.60
810/37	0.23

(1)	(2)	(1)	(2)
811/1	0.64	827/9	0.08
811/2	0.24	827/10	0.08
812	0.48	827/11	0.01
813	0.54	827/12	0.05
814/1	0.92	827/13	0.09
814/2	0.22	827/14	0.14
815	0.50	827/15	0.18
816	0.42	827/16	0.03
817	0.34	827/17	0.03
818	0.16	827/18	0.01
819	0.24	827/19	0.01
820/1	0.11	827/20	0.03
820/2	0.11	827/21	0.04
821	0.06	827/22	0.06
822	0.70	827/1 ख	0.05
823/1	0.16	827/1 ग	0.05
823/2	0.16	827/1 घ	0.05
823/3	0.16	827/1 ङ	0.05
823/4	0.16	827/1 च	0.03
824	0.32	827/1 छ	0.03
825/1	0.48	827/1 ज	0.05
825/2	0.28	827/1 झ	0.05
825/3	0.15	827/1 ट	0.01
825/4	0.20	827/1 ठ	1.22
825/5	0.40	828/1	0.40
825/6	1.10	828/2	0.20
825/9	0.97	828/3	0.25
825/10	0.39	828/4	0.20
825/11	0.40	828/5	0.58
825/12	0.80	828/6	0.20
825/13	0.70	828/7	0.25
825/14	0.22	828/9	0.14
825/15	0.15	828/11	0.04
825/20	0.20	828/12	0.06
825/21	0.85	828/13	0.25
825/22	0.22	830/2	0.16
825/23	0.36	831/1	0.54
825/24	0.32	831/2	0.40
825/27	0.48	831/3	0.16
825/8 क	0.49	831/4	0.09
827/3	0.07	831/6	0.45
827/4	0.02	831/7	0.08
827/5	0.07	831/8	0.17
827/6	0.19	832/1	0.50
827/7	0.24	832/6	0.12
827/8	0.13	833/1	0.56

(1)	(2)
833/2	0.46
833/3	0.24
833/4	0.24
833/5	0.22
834/1	0.50
834/2	0.70
834/4	0.22
834/5	0.42
835/1	0.10
835/3	0.63
836	0.12
837/2, 837/7	0.36
838/1	0.59
838/2	0.24
838/3	0.35
838/4	0.78
838/5	0.30
838/7	0.72
838/8	1.00
838/10	0.24
838/11	0.24
839	2.75
843	0.20
844	0.24
845/1	0.30
845/2	0.42
845/3	1.08
845/4	0.52
846/1, 846/4	1.14
846/2	1.28
846/3	1.26
847	1.63
848	0.68
849	0.80
850/1	0.09
850/2	0.21
851	0.24
852/1	1.02
852/2	0.63
852/3	0.70
852/6, 855	0.31
853	0.50
854	1.69
856/1	0.76
856/2	0.40
856/3	0.62
857/1	0.48
857/2	0.20
857/4	0.11
857/6	0.30
857/7	0.32
857/8	0.20
858/2	1.15
858/3	1.00
859	3.18
860/1	0.80
860/2 क	1.09
860/2 ख, 861	0.49
862/1	0.60
862/2	0.05
862/3	0.26
862/4	0.06
862/5	0.06
862/6	0.07
863	2.28
865	0.88
866/1	0.52
866/2	0.52
866/3	1.03
867	0.60
868/1	1.00
868/2	0.68
869/1	1.00
869/2	0.78
875, 876	0.53
879	1.00
880	0.61
881/1	1.00
881/2	0.61
881/3	0.30
882	0.12
883	0.55
884	0.40
886	0.10
887	0.38
888	0.60
889/2	0.15
890/1	0.33
890/2	0.53
892	0.33
893/2	0.37
893/3	0.48

(1)	(2)	(1)	(2)
895	0.60	913/1	0.28
896/2	0.10	913/2	0.45
897/1	0.26	914/1	0.21
897/2	1.76	914/2	0.15
898	2.19	914/3	0.19
899/1	0.78	915/1, 916/1	1.47
899/2	0.78	915/6	0.23
899/3	0.10	917/1	0.24
900/1	0.87	917/3	0.08
900/3	1.00	918	1.30
900/4	0.63	919/1	0.45
900/5	0.37	919/4	0.06
900/6	0.24	920, 921/2	0.10
900/7	0.46	921/2	0.08
900/9	0.28	921/3	0.20
900/11	0.33	922/1	1.34
901	1.06	922/2	2.02
902/1	0.45	923/1	0.85
902/2	0.16	923/2	0.48
903	0.38	924	0.81
904	1.33	925	0.42
905	0.34	927	0.08
906/1	0.13	928/1	0.87
906/2	0.19	928/2	0.38
906/3	0.13	928/3	0.57
906/4	0.12	929/1	0.25
907	2.39	929/2	0.15
908/1	0.46	931/1	0.42
908/2	1.07	931/2	0.30
908/6	0.05	931/3	0.65
909/1	1.19	932, 935, 936/1	9.45
909/2	0.50	933, 1369	0.32
909/4	0.54	934/1	0.26
909/5	0.28	934/2	0.32
909/6	0.50	934/3	0.35
909/7	0.32	936/2	1.00
909/8	0.16	936/3	1.00
909/9	0.16	936/4	2.60
909/10	0.56	936/5	0.21
910	0.44	937	0.50
911/1	0.50	938/1, 939	1.62
911/2	0.52	938/2, 939/2	0.53
911/3	0.52	940, 1030	1.33
911/4	0.52	941, 1367	3.06
912/1	0.18	942, 943	4.61
912/3	0.06	944	0.35

(1)	(2)
945	0.24
946	0.29
947	1.54
948, 1018	1.65
949	0.08
950/1	0.12
950/2	0.18
950/3	0.10
951	0.71
952	0.24
953/1	0.30
953/2, 953/3	1.00
953/4	2.40
954	0.96
955	0.45
956/1, 963/1	1.40
956/2, 963/2	0.82
956/3, 963/3	0.10
957	0.18
958	0.39
959	0.32
962	0.23
964/1	0.28
964/2	0.15
964/3	0.18
964/4	0.28
964/5	0.08
964/6	0.09
964/7	0.08
965	0.39
966/1	1.20
966/3	0.50
968	0.57
970	1.36
971	1.54
972, 973	1.52
974/1, 975/1	0.86
974/2, 975/2	1.50
976	0.26
977	0.66
978/1	0.30
978/2	0.15
978/3	0.15
978/4	0.20
978/5	0.16
979	0.67
980/1	0.32
980/2	0.80
981/1	0.64
981/2	0.36
982	1.36
983/1	0.23
983/3	0.07
985/2	0.06
986/2	0.23
987/1	0.38
987/2	0.38
988	0.20
989, 995	1.13
990	0.08
991/1	0.15
991/2	0.15
993/2	0.22
994	0.12
996	0.38
997/2, 998, 999	0.93
1000/1	3.17
1001	0.63
1002/1	0.35
1002/2	0.51
1003/1	0.20
1003/2	0.29
1003/3	0.06
1004	2.29
1005/1, 1010	1.63
1005/2	0.22
1007/1	0.20
1008	0.27
1009	0.50
1011	0.82
1012	0.23
1013, 1026	0.97
1014/1	1.00
1015/1	0.36
1015/2	0.62
1016	0.74
1017	0.33
1019	0.03
1021	0.65
1022	0.59
1023/1	0.18
1023/2	0.17
1023/3	0.17
1024, 1025	0.51

(1)	(2)
1027	1.20
1028	0.36
1029	0.08
1031/1	0.27
1031/2	0.02
1031/3	0.43
1032	2.32
1034	0.40
1037	0.64
1038/1	0.29
1038/3	0.18
1038/4	0.05
1038/5	0.89
1038/7	0.08
1038/9	0.08
1038/12, 1038/13	0.40
1038/15	0.18
1038/16	0.20
1038/19	0.07
1041/2	0.10
1041/3	0.50
1041/5	0.23
1041/9	0.23
1042/1	0.91
1046/1	0.35
1046/2	0.10
1046/3	0.60
1046/4	0.18
1046/5	0.09
1046/6	0.18
1046/7	0.35
1046/8	0.72
1046/9	0.07
1046/10	0.40
1046/11	0.20
1046/12	0.20
1046/13	0.12
1046/14	0.25
1046/15	0.28
1046/16	0.18
1046/17	0.08
1046/18	0.10
1046/23	0.52
1046/24	0.09
1046/25	0.10
1046/26	0.30
1046/27	0.05

(1)	(2)
1046/28	0.50
1046/29	0.02
1046/30	0.12
1046/38	0.50
1046/44	0.45
1046/45	0.33
1048/1 ख	0.05
1048/1 ग	0.07
1048/2, 1048/3	0.52
1050/1, 1052/1, 1053/1	0.27
1050/2, 1052/2, 1053/2	0.26
1050/3, 1052/3, 1053/3	0.05
1050/5, 1052/5, 1053/5	0.37
1051	0.40
1054/2	0.39
1055/1	0.19
1055/2	0.25
1055/3	0.18
1055/5	0.27
1056/1	0.07
1056/2	0.07
1057	0.12
1058/1	0.03
1058/2	0.03
1059/1	0.17
1059/2	0.17
1059/5	0.35
1059/6	0.13
1059/7	0.13
1059/10	0.06
1060/2	0.12
1062/1	0.04
1063/1	0.08
1063/2	0.08
1064/1	0.65
1064/2	0.65
1065/2	0.24
1065/3	0.14
1065/7	0.17
1065/8	0.17
1065/10	0.26
1065/11	0.32
1065/14	0.20
1066/2	0.40
1066/5	0.17
1067/1	2.02
1067/3	0.90

(1)	(2)
1067/4	0.48
1067/6	0.20
1067/7	0.40
1068/1	0.20
1069/1, 1071/1	0.51
1069/2, 1071/2	1.81
1069/3	1.40
1070/1	0.10
1073	0.18
1077/1, 1077/3	0.92
1077/2	0.26
1100/2	0.08
1101/1	0.23
1101/2	0.06
1101/3	0.23
1101/4	0.23
1101/5	0.23
1102	0.52
1178/1	0.12
1178/2	0.35
1178/3	0.20
1179	0.46
1180	0.34
1188/1 ख	1.00
1188/1 ग	0.02
1188/1 ङ	0.05
1188/1 च	0.05
1188/1 छ	0.05
1188/3	0.07
1201/1	0.07
1201/2	0.20
1201/3	0.19
1201/4	0.13
1201/5	0.13
1201/6	0.12
1201/7	0.05
1201/8	0.37
1201/9	0.27
1201/11	0.08
1201/12	0.13
1201/13	0.14
1202	0.46
1203/1	0.37
1203/2	0.78
1203/3	0.46
1204/1	0.09
1204/2	0.40
1205/2	0.44
1205/3	0.49
1206	0.16
1207	0.30
1208	0.06
1209/1	0.81
1209/2	0.95
1209/3	0.55
1209/4	1.12
1210	0.88
1211/1, 1211/2, 1211/3	1.16
योग 837	465.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी, अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.)

अंबिकापुर, दिनांक 12 अगस्त 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 20/अ-67/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-विन्ध्यांचल, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा से परिवहन हेतु ग्राम रघुनाथपुर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा तक मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	58	0.072
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	62	0.014
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	66	0.053
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	87	0.031
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	91	0.017
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	93/2	0.048
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	94	0.043
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	124	0.017
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	129/1	0.038
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	132	0.019
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	133	0.007
सरगुजा	प्रेमनगर	विन्ध्यांचल/80	135	0.091
			योग	0.450

अंबिकापुर, दिनांक 12 अगस्त 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 21/अ-67/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-मोहरा, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा से परिवहन हेतु ग्राम रघुनाथपुर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा तक मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)
सरगुजा	प्रेमनगर	महोरा/80	891	0.038
सरगुजा	प्रेमनगर	महोरा/80	894	0.034
			योग	0.072

अंबिकापुर, दिनांक 12 अगस्त 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 22/अ-67/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सारसताल, तहसील-प्रेमनगर, जिला सरगुजा से परिवहन हेतु ग्राम रघुनाथपुर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा तक मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)
सरगुजा	प्रेमनगर	सारसताल/80	404	0.041
सरगुजा	प्रेमनगर	सारसताल/80	514	0.019
सरगुजा	प्रेमनगर	सारसताल/80	516/1	0.026
सरगुजा	प्रेमनगर	सारसताल/80	519	0.028

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	प्रेमनगर	सारसताल/80	531	0.019
सरगुजा	प्रेमनगर	सारसताल/80	532	0.034
सरगुजा	प्रेमनगर	सारसताल/80	547	0.019
सरगुजा	प्रेमनगर	सारसताल/80	549	0.014
सरगुजा	प्रेमनगर	सारसताल/80	554	0.021
सरगुजा	प्रेमनगर	सारसताल/80	563	0.024
			योग	0.245

अंबिकापुर, दिनांक 12 अगस्त 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 23/अ-67/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-वृन्दाबन, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा से परिवहन हेतु ग्राम रघुनाथपुर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा तक मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	प्रेमनगर	वृन्दाबन/75	382	0.127
सरगुजा	प्रेमनगर	वृन्दाबन/75	407	0.006
सरगुजा	प्रेमनगर	वृन्दाबन/75	409	0.072
सरगुजा	प्रेमनगर	वृन्दाबन/75	410	0.017
			योग	0.222

अंबिकापुर, दिनांक 12 अगस्त 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 24/अ-67/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-केदारपुर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा से परिवहन हेतु ग्राम रघुनाथपुर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा तक मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	प्रेमनगर	केदारपुर/80	1401	0.062
सरगुजा	प्रेमनगर	केदारपुर/80	1402	0.038
सरगुजा	प्रेमनगर	केदारपुर/80	1408	0.062
सरगुजा	प्रेमनगर	केदारपुर/80	1409	0.034
सरगुजा	प्रेमनगर	केदारपुर/80	1410	0.048
			योग	0.244

एच. एल. नायक,
सक्षम प्राधिकारी.

न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 12 सितम्बर 2011

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 146/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 146/बी-121/2010-11 दिनांक 31-05-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कोरबा वेस्ट पॉवर कंपनी लिमिटेड परियोजना के लिए ग्राम कठली,

तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ से परिवहन द्वारा ग्राम बड़ेभंडार, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक भूमिगत पाइंप लाइंन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र 24 जून 2011 को प्रकाशित की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी रायगढ़, तहसीलदार कार्यालय पुसौर के नोटिस वोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम ग्राम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह घोषणा करता हूं कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
रायगढ़	पुसौर	ग्राम-कटली	312	0.004	0.01
		प. ह. नं. 39	115/2 ख	0.032	0.08
			311	0.040	0.10
			120/2	0.004	0.01
			310	0.065	0.16
			309	0.061	0.15
			205	0.089	0.22
			199	0.073	0.18
			162	0.028	0.07
			147/419	0.069	0.17
			147/1	0.016	0.04
			206	0.049	0.12
			204	0.049	0.12
			163	0.012	0.03
			203/2	0.040	0.10
			198	0.061	0.15
			114/3	0.073	0.18
			159/1	0.020	0.05
			119/1	0.061	0.15
			128/1	0.008	0.02
			161	0.093	0.23
			114/2	0.061	0.15
			151/1	0.008	0.02
			151/2	0.028	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			151/3	0.053	0.13
			149/3	0.069	0.17
			114/1	0.040	0.10
			148/2	0.032	0.08
			116/3	0.004	0.01
			119/4	0.081	0.20
			148/1 ख	0.024	0.06
			115/2 क	0.040	0.10
			145/1	0.017	0.04
			145/2	0.016	0.04
			145/9	0.018	0.04
			145/15	0.017	0.04
			145/17	0.017	0.04
			146/1	0.057	0.14
			113/3	0.061	0.15
			113/2 ख	0.008	0.02
			112	0.008	0.02
			111/1	0.008	0.02
			115/1	0.020	0.05
			116/2	0.040	0.10
			116/4	0.008	0.02
			116/1	0.028	0.07
			119/2	0.008	0.02
			118	0.020	0.05
			12	0.093	0.23
				1.831	**4.52**

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 सितम्बर 2011

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 146/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 146/बी-121/2010-11 दिनांक 31-05-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कोरबा वेस्ट पॉवर कंपनी लिमिटेड परियोजना के लिए ग्राम टपरदा, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ से परिवहन द्वारा ग्राम बड़ेभंडार, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र 24 जून 2011 को प्रकाशित की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी रायगढ़, तहसीलदार कार्यालय पुसौर के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम ग्राम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह घोषणा करता हूं कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
रायगढ़	पुसौर	ग्राम-टपरदा प. ह. नं. 39	32/20	0.073	0.18
			32/16	0.028	0.07
			32/14	0.065	0.16
			32/4	0.061	0.15
			32/9	0.065	0.16
			32/3	0.065	0.16
			32/28	0.113	0.28
			24/1	0.073	0.18
			20/1	0.053	0.13
			18/2	0.020	0.05
			32/17	0.057	0.14
			32/19	0.081	0.20
			12/2	0.061	0.15
			10/9	0.081	0.20
			10/5	0.008	0.02
				0.904	**2.23**

टीप :— भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने में संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

जे. आर. चौरसिया,
सक्षम प्राधिकारी.